राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 15(12) राज/वाद/06पार्ट–II जयपुर, दिनांक 14-07-2020

समस्त जिला कलेक्टर्स,
————————, राजस्थान।

विषयः– **कोविड–19 महामारी में दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 14.06.2020 तक लॉकडाउन के दौरान अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण को एपीरियन्स फीस के भुगतान के मार्गदर्शन बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड–19 महामारी के दौरान राज्य में दिनांक 22.03.2020 से 14.06.2020 तक लॉकडाउन की अवधि में अधिकांश न्यायालय बन्द रहे हैं। यदि उक्त अवधि में लॉकडाउन के दौरान लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक द्वारा माननीय न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से अपनी उपस्थिति व्यक्तिगत अथवा ऑन लाईन के माध्यम से दर्ज कराई है, तो ऐसे लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को प्रतिदिन 500/– रूपये एपीरियन्स फीस का भुगतान नियमानुसार देय है। जिन लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक ने माननीय न्यायालय में लॉकडाउन के दौरान अपनी उपस्थिति नहीं दी है, ऐसे अभियोजकगण को प्रतिदिन एपीरियन्स फीस का भुगतान देय नहीं है, यद्यपि उक्त अवधि में इन्हे प्रतिमाह निश्चित मासिक रिटेनरशिप का भुगतान देय है।

अतः जिन लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण द्वारा लॉकडाउन अवधि का प्रतिदिन 500/– रूपये एपीरियन्स फीस का भुगतान क्लेम किया जाता है, ऐसे अभियोजकगण की माननीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु अभियोजक से न्यायालय आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त अभियोजक ने लॉकडाउन अवधि में माननीय न्यायालय में अपनी उपस्थिति दी है। तत्पश्चात ही संबंधित अभियोजक को 500/– रूपये प्रतिदिन एपीरियन्स फीस का भुगतान देय है।

ह0
(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण।
3. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

14/7/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि